REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032022-234117 CG-DL-E-11032022-234117

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1095] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 2022/फाल्गुन 20, 1943 No. 1095] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 2022/PHALGUNA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2022

का.आ. 1130(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
622	205एजी	पंजाब राज्य में एसएएस नगर के निकट रारा सं. 205ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मोहाली, सैदपुरा (सरहिंद), फतेहगढ़ साहिब, मालेर कोटला को जोड़ने वाला और सेहना (बरनाला) के निकट रारा 754एडी पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/13/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची को दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 711(अ), दिनांकित 15 फरवरी, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2022

S.O. 1130(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
622	205AG	The highway starting from its junction with NH-205A near SAS Nagar connecting Mohali, Saidpura (Sirhind), Fatehgarh Sahib, Maler Kotla and terminating at its junction with NH-754AD near Sehna (Barnala) in the state of Punjab.

[F. No. NH-14012/13/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 711(E), dated 15th February, 2022.